

उत्तर प्रदेश सरकार  
राज्यीय स्वीकरण अनुभाग-2  
संख्या 2015/पालीत-2-94-141511/9। टॉपसो  
लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना  
=====

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1994। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1994। को धारा 2 के खंड।घ। के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित समुदायों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "अल्प संख्यक" अधिसूचित करते हैं:-

- 1- मुस्लिम
- 2- ईसाई
- 3- सिख
- 4- बौद्ध
- 5- पारसी

नागिन्दर सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या 2015/पालीत-2-94-141511/9। टॉपसो

- 1- प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 के उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खंड।ख। में अवश्य प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उ०प्र०।
- 5- समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- सचिव, अल्प संख्यक आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

नागिन्दर सिंह  
प्रमुख सचिव।